सं0– 358/26–ब0प्र0–2010–4(97)/93

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2010

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत उत्पीड़न से प्रभावित अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास हेतु (जिला योजना) के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–366/स0क0/विकास/2010–2011, दिनांक 3–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय –व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/ दस–2010–231/ 2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 जो समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित एवं समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है, में जारी निर्देशों के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित " अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसुचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता" के अंतर्गत(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद में किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 22.00 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 (5) में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन प्रथम त्रैमास में व्यय के लिए 1/4 भाग रू0 550.00 लाख (रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में उक्त योजना के लिए नियोजन विभाग द्वारा जिला योजना में जनपदवार आवंटित परिव्यय की सीमा में जनपदवार आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार किये गये आवंटन की प्रतियां शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग की सहमति से योजना के लिए निर्धारित नियमावली/निर्गत स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) उक्त योजना 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित है। अतः उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को उपलब्ध/प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा। वर्ष 2010–11 के लिए अपेक्षित केन्द्रांश की मांग का प्रस्ताव शीर्ष प्राथमिकता पर निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार को भेजने हेतु शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन/व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्ष 2009–10 एवं पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखानों/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजते समय पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। कोषागार से धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/ डिपाजिट आदि खातों में जमा नहीं की जायेगी। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय के लिए वित्त (आय– व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस– 2010– 231/2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(7) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोजन न किया जाये और धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

2– उक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनागत–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0111– अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना)–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/ दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 350 (1)/26–ब0प्र0–2010– तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद

3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश।

5– समस्त संयुक्त निदेशक/मण्डलीय उपनिदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ।

6–सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

7–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2

8– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1

9– राज्य योजना आयोग–1/2/निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

अनु सचिव।